<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर</u>

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दीवानी रिट याचिका नं. 7008/2018

सुरेन्द्र सिंह राजावत

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक : 25.03.2019

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा</u>

श्री आर. बी. शर्मा घंटोला, अधिवक्ता–याची की ओर से।

अधिवक्ता याची ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाने हेतु साक्षात्कार में एनेक्सर–8 के अनुसार याची को पूर्व में छः अंक साक्षात्कारकर्ता द्वारा दिये गये थे, जिन्हें काटकर तीन अंक कर दिया गया तथा उसे नियुक्ति नहीं दी गयी। तत्पश्चात उससे कम अंक वाले प्रत्यर्थीगण को नियुक्ति दे दी गयी है। अतः प्रत्यर्थीगण के स्थान पर याची को उक्त पद पर नियुक्ति दिलायी जावे।

सुना गया।

याचिका के नोटिस प्रत्यर्थीगण की तामील हेतु चार सप्ताह में वापिसी योग्य जारी किये जावें। नोटिस की एक प्रति अग्रिम रूप से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री गणेश परिहार को आज ही उपलब्ध करायी जावे। आयन्दा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री परिहार का नाम दैनिक वाद सूची में दर्शित करते हुए प्रकरण सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/262